न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 112/2022

प्रार्थीगण :–

1 शोभा पत्नी धर्मीचन्द पुत्र दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी महालक्ष्मी गिफ्ट सेन्टर, नम्बर 1575 Ist Main road, kalyan Nagar, T. Dasarahalli
2 Bangalore 560057.
संगीता सोलंकी पत्नी गौतम सोलंकी पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी 165 T.N. Pura Main Road
3 Mandini Layout Alanahalli Mysore Karnataka 570028.
पूजा देवड़ा पत्नी प्रेमारामजी देवड़ा पुत्री दानाराम जाति घांची वर्ष निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी 3/204 Gokul Concorde, Gokul Towship Agrawal Garden Agashi Road Virar (WEST) Palghar
4 Maharastra. 401303.
ज्योति परिहार पत्नी दिनेश पंवार पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल fuoklh SANTOSH JEWELLERS No-36 Tank Road Street Thirumullai Royal
5 Chennai 600062.
संतोष पुत्री दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी 340 बजरंग नगर, पाली तहसील व जिला पाली राजस्थान 306401

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 दानाराम पुत्र नारायणलाल जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत हाल निवासी 304 बंजरग नगर पाली जिला पाली राजस्थान।
2 सतीस परिहार पुत्र दानाराम जाति घांची निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत हाल निवासी 304 बंजरग नगर पाली जिला पाली राजस्थान।
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 22/08/22

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3811/1, 3823/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1650 किस्म चा0प्र0 एवं सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 247, 248, 249/1, 52/1 रकबा 3.6400 है0 किस्म बा0अ0 कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त हिन्दु पारिवार की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जो कृषि भूमि वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज सुदा है उक्त वर्णित आराजी सोजत चक प्रथम में रिवाईज सैटलमैन्ट के गत खसरा संख्या 210/3 व 210/4 से वर्तमान खसरा संख्या 3811 बने है तथा गत सैटलमेन्ट के खसरा संख्या 210/11 से वर्तमान खसरा संख्या 3823 बनाये गये है जो खसरा मिलान से साबित है राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार गत खसरा संख्या 210 /3 व 210/4 तथा 210/11 में प्रार्थीगण के दादा नारायणलाल वल्द नैना के नाम व अन्य सहखातेदारान के नाम से खातेदारी कब्जा काश्त की दर्ज सुदा स्थित थी जिस पर प्रार्थीगण के दादा बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे। वर्तमान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित सोजत चक द्वितीय की आराजी कृषि भूमि के गत खसरा संख्या 1558 से वर्तमान खसरा संख्या 52 बनाये गये है। इसी प्रकार गत खसरा संख्या 1375 मीन से वर्तमान खसरा संख्या 237, 247, 248, 249 बनाये गये है जो खसरा मिलान से साबित है उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2028 के अनुसार प्रार्थीगण के दादा नारायण वल्द नैना एवं अन्य सहखातेदारो के नाम से खातेदारी दर्ज सुदा थी। उक्त कृषि भूमि के सभी सहखातेदारो द्वारा पूर्व मे अपने अपने बंट व हिस्से अलग अलग करवा कर अलग अलग काबिज हो चुके है। जिससे प्रार्थीगण के दादा नारायण वल्द नैना के बंट व हिस्से मे कृषि भूमि सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 247 रकबा 1.1000, खसरा संख्या 248 रकबा 1.5000 हैक्टर, खसरा संख्या 249/1 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा संख्या 52/1 रकबा 0.6100 हैक्टर कृषि भूमि आई तथा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3811/1 रकबा 0.1200 हैक्टर एंव खसरा संख्या 3823/1 रकबा 0.0450 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज अवश्य है लेकिन मौके पर सभी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है। उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता नारायण की खातेदारी कब्जा काश्त की थी। उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है तथा प्रार्थीगण सहदायिक है। जिसमे प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में बाई बर्थ हक एवं अधिकार निहित हो चुका है। नारायण जी के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 दानाराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 व 02 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। जिसका पूश्तैनी कृषि भूमि मे सभी का बराबर हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के पिता है तथा अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थीगण का सगा भाई है। सजरा वंशावली शौभा पत्नि दानाराम, संगीता, पुजा, ज्योति, संतोष पुत्रियां दानाराम, सतीश पुत्र दानाराम है। उक्त वर्णित वादस्थ आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की सयुंक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है जिसमे प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 एक व 02 प्रत्येक का बराबर बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार निहित है। वादस्थ आराजी कृषि भूमि मे प्रत्येक प्रार्थी का 1/7 – 1/7 हक हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/7 –1/7 हिस्सा ही बनता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने मिलकर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से एवं उक्त कृषि भूमि से वंचित करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को बेदखल एवं वंचित करने के आशय से मौके पर कुछ भू–माफियो को लाकर कृषि भूमि दिखाने लगे। दिनांक 10/05/2022 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उक्त भूमि को बेचान करने के आशय से एव खुर्द बुर्द करने की नियत से कुछ अजनबी लोगो को दिखाने लगे जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 15/05/2022 अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को कृषि भूमि को बेचान करने एवं खुर्द बुर्द करने से मना किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नही माने एवं प्रार्थीगण को एलानिया कहा कि "उक्त कृषि भूमि को बेचान करके रहेगे"। तथा यह भी कहा कि "उक्त कृषि भूमि पर आपको नही आने देंगे, न ही काश्त करने देगे"। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक एवं अधिकार नही है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से बार बार निवेदन करने एवं अपना हिस्सा अपने नाम करवाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 नाराज हो गये तथा कहा कि "आपको एक इंच जमीन भी नही

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

दूंगा, न ही आपको उक्त भूमि में काश्त करने देगे एवं उक्त भूमि बेचान हस्तान्तरण करके रहेंगे"। अप्रार्थी संख्या 01 एक व 02 दो उक्त आराजी कृषि भूमि को प्रार्थीगण के हक व हिस्से सहित भू माफियों को ओने पोने दामो मे बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है। जिससे प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जावेगा। वादस्थ आराजी कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी कृषि भुमि है। प्रार्थीगण सहदायिक है। जिससे वादस्थ आराजी कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का बाई बर्थ हक व अधिकार निहित हो चुका है अप्रार्थी संख्या 01 को सम्पूर्ण कृषि भूमि बेचान हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण की पुश्तैनी सयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने से प्रार्थीगण वादस्थ आराजी कृषि भूमि मे सयुक्त रूप से 5/7 हिस्सा की खातेदारी हक की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के हक हिस्सा सहित कृषि भूमि को भू माफियों को ओने पोने दामो मे बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में बेदखल करने पर उतारू है। जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाया जाना भी कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए वाद बाबत खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मिलकर प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से मेहरूम करने के आशय से बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है, जिससे अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से सहित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जावेगे। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में प्रार्थीगण का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का हक व अधिकार निहित है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। जिससे सूविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मिलकर प्रार्थीगण के हक हिस्से सहित कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है। प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करना चाहता है। यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायत कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नही आका जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक एव न्याय संगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र पद संख्या 02 में वर्णित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा अवरोध व दखलंदाजी पैदा नही करे एवं न ही बेचान हस्तान्तरण आदि करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु अप्रार्थी संख्या 03 को पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.08.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हस्ब प्रा0 पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि सरहद मौजा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3811/1, 3823/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1650 किस्म चा0प्र0 एवं सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 247, 248, 249/1, 52/1 रकबा 3.6400 है0 किस्म बा0अ0 का अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पाबंद फरमाया जाने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु अप्रार्थी संख्या 03 को पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 पत्र

उपखण्ड अधिकारी

वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः यदि दौराने वाद वादस्थ भूमि का बैचान / हस्तान्तरण होता है तो वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रार्थिया अपना हक अधिकार तय करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादस्थ भूमि प्रथम दृष्टया पुश्तैनी होना प्रतित होती है। प्रार्थिया के हक अधिकारो का विनिश्चय मूल वाद में जबाब दावा पेश होकर तनकियात कायमी पश्चात साक्ष्य सबूतो एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवचेन / विश्लेषण के पश्चात संभव हो सकेगा। चूकि वादस्थ भूमि पुश्तैनी है जिससे हस्तगत प्रा0 पत्र के प्रकरण में मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3811/1, 3823/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1650 किस्म चा0प्र0 एवं सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 247, 248, 249/1, 52/1 रकबा 3.6400 है0 किस्म बा0अ0 भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 22/03/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत